

2022/1039

संघ अधिवेशन 2023

प्रतिवेदन पत्रकारी हस्ताक्षर 2023

प्रतिवेदन पत्रकारी हस्ताक्षर: 113

संख्या 112, 113, 114 राजस्व घाम 113 की जमाबंदी संख्या 2074-77 के खाता
 जाति जाट में प्रार्थी का नाम गोविंदी देवी पुत्र/पुत्री/पति अशोक महाराज
 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सनप्र दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जांच प्रतिवेदन पत्रकारी हस्ताक्षर
 एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोविंदी देवी पुत्र/पुत्री/पति अशोक महाराज जाति जाट दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पत्रकारी 16/06/23 113

जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त: 113

संख्या 112, 113, 114 राजस्व घाम 113 की जमाबंदी संख्या 2074-77 के खाता
 जाति जाट में प्रार्थी का नाम गोविंदी देवी पुत्र/पुत्री/पति अशोक महाराज
 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सनप्र दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जांच प्रतिवेदन पत्रकारी हस्ताक्षर
 एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोविंदी देवी पुत्र/पुत्री/पति अशोक महाराज जाति जाट दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर भू-अभिलेख निरीक्षक 16/06/23 113

LR-23 16/06/23

जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर

संख्या 112, 113, 114 राजस्व घाम 113 की जमाबंदी संख्या 2074-77 के खाता
 जाति जाट में प्रार्थी का नाम गोविंदी देवी पुत्र/पुत्री/पति अशोक महाराज
 दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। सनप्र दस्तावेज :- आधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, पहचान पत्र, जांच प्रतिवेदन पत्रकारी हस्ताक्षर
 जांच प्रतिवेदन भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त 113 एवम खातेदारों की गवाही के आधार पर उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम गोविंदी देवी पुत्र/पुत्री/पति अशोक महाराज जाति जाट दर्ज कर दुरुस्त किया जाना उचित है।

तहसीलदार (भू.अ) श्रीमाधोपुर (श्रीमाधोपुर)

आदेश (शिविर स्थान:- 113 दिनांक:- 12/06/2023

जांच प्रतिवेदन पत्रकारी हस्ताक्षर:- 113, जांच प्रतिवेदन भू- अभिलेख निरीक्षक वृत्त:- 113, जांच प्रतिवेदन तहसीलदार (भू- अभिलेख), श्रीमाधोपुर तथा सनप्र दस्तावेज:- आधार-कार्ड, पहचान-पत्र, राशन-कार्ड के (राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा - 136 के अन्तर्गत) राजस्व घाम:- 113 के खाता संख्या:- 112, 113, 114 में प्रार्थी का नाम गोविंदी देवी पुत्र/पुत्री/पति अशोक महाराज के स्थान पर गोविंदी देवी पुत्र/पुत्री/पति अशोक महाराज दर्ज कर दुरुस्त किया जाता है।



उप-अप-अधिकारी (श्रीमाधोपुर) पंचायत समिति- श्रीमाधोपुर